

## विज्ञप्ति

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पत्रांक 5581-5656/दस-लाइसेंस-367/सुझाव आबकारी नीति/2019-20 दिनांक: 16-05-2019 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार जनपद में अवशेष देशी शराब की 06 दुकानों को ई-टेंडर/ऑफर के माध्यम से सम्पन्न कराये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। अवशेष दुकानों का विवरण निम्नवत् है-

क्र० सं०	दुकान का नाम	शॉप आईडी	प्रस्थिति	छठे चरण के लिए निर्धारित वार्षिक एम0जी0क्यू0	बेसिक लाइसेंस फीस	लाइसेंसफीस	प्रतिभूति धनराशि	धरोहर धनराशि	वांछित हेसियत प्रमाण-पत्र की धनराशि
1	अकशा	23019	नगर निगम	90936	2728080	20187792	2018779	272808	3819312
2	छोटातालपुर	22884	नगर निगम	73080	2192400	16223760	1622376	219240	3069360
3	बर्थरा कला (था० चौबेपुर)	22674	ग्रामीण	13392	401760	2973024	297302	40176	562464
4	कमौली	22042	ग्रामीण	52548	1576440	11665656	1166566	157644	2207016
5	विजयानगरम	24851	नगर निगम	175320	5259600	38921040	3892104	525960	7363440
6	नक्कीघाट	26310	नगर निगम	116388	3491640	25838136	2583814	349164	4888296

छठे चरण के व्यवस्थापन हेतु आन-लाइन टेंडर आमंत्रित किये जाने हेतु समय सारणी निम्नवत् है:-


सं:-

1-	Tender publishing date	17-05-2019 at 15:30
2-	Document download start date	17-05-2019 at 15:30
3	Document download end date	25-05-2019 at 09:00
4	Pre bid meeting date	20-05-2019 at 11:00
5	Bid submission start date	17-05-2019 at 17:30
6	Bid submission Closing date	25-05-2019 at 09:30
7	Technical bid opening date	25-05-2019 at 10:00
8	Financial bid opening date	25-05-2019 at 16:00
9	The place of bid opening	Raifal Club Varanasi
10	Tender inviting Officer	Collector

ई-टेंडर भरे जाने हेतु नियम/शर्तें

- वर्ष 2019-20 हेतु आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बंधित प्रक्रिया वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर सम्पादित की जायेगी तथा व्यवस्थापन सम्बंधित विस्तृत विवरण आबकारी विभाग के वेबसाइट [www.upexcise.in](http://www.upexcise.in) पर भी उपलब्ध रहेगा।
- उक्त देशी शराब दुकानों हेतु प्राप्त ऑफर में सर्वाधिक वार्षिक एम0जी0क्यू0 के ई-टेंडर/ऑफर को स्वीकार किया जायेगा। यदि दो या दो से अधिक समान अधिकतम ई-टेंडर/ऑफर प्राप्त होने की दशा में मैनुअल लाटरी के माध्यम से ऐसे समान ई-टेंडर/ऑफर में से एक को चुनकर व्यवस्थापन कराया जायेगा।
- उक्त दुकानों के स्वीकृत एम0जी0क्यू0 को 12 के अगले गुणांक में निर्धारित किया जायेगा।
- व्यवस्थापन की शेष शर्तें इसके पूर्व के व्यवस्थापन के समान ही पूर्ववत् रहेंगे।
- उक्त देशी मदिरा की दुकानों हेतु सम्बंधित दुकान के कुल न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में निहित बेसिक लाइसेन्स फीस के 10 प्रतिशत के बराबर की धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जिला आबकारी अधिकारी वाराणसी के नाम बना हो, ही स्वीकार किये जायेंगे। प्रत्येक आवेदन के पृथक धरोहर धनराशि जमा करनी आवश्यक होगी।
- प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू० 18,000/- प्रोसेसिंग शुल्क आवेदन प्रक्रिया के रूप में देय होगा। इस पर 18 प्रतिशत की दर से जी0एस0टी0/वैट भी नियमानुसार देय होगा प्रत्येक आनलाइन आवेदन पर प्रोसेसिंग शुल्क एवं जी0एस0टी0 अनिवार्य रूप से एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उप आबकारी आयुक्त (लाइसेंसिंग) और सहायक लेखाधिकारी उत्तर प्रदेश एक्ससाइज (DEC L AND AAO UPEXCISE PRAYAGRAJ) के पदनाम से पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड लखनऊ स्थित खाता संख्या 4483000100050375 में जमा करना होगा। पंजाब नेशनल बैंक विपुल खण्ड, लखनऊ शाखा का आई0एफ0एस0सी0कोड-PUNB0448300 है। आवेदन/व्यवस्थापन से सम्बंधित प्रक्रिया वेबसाइट [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) पर सम्पादित की जायेगी तथा उक्त मदिरा दुकानों हेतु उक्त वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन ऑफर/आवेदन किया जा सकेगा। प्रत्येक आवेदन/ऑफरदाता को Digital Signature Certificate (DSC) भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी एजेन्सी से अनिवार्य रूप से तैयार करानी होगी तथा उपरोक्त [www.etender.up.nic.in](http://www.etender.up.nic.in) वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा।

7- आवेदक प्रोसेसिंग शुल्क, जी0एस0टी0 के आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा किये गये भुगतान की बैंक रसीद एवं पूर्व निर्धारित आवश्यक प्रपत्र यथा-सालवेंसी प्रमाण-पत्र आधार, कार्ड, पैनकार्ड आदि प्रपत्र भी स्कैन करके ई-टेण्डर पोर्टल के टेक्निकल बिड सेक्शन में अपलोड करना अनिवार्य होगा। धरोहर धनराशि के बैंक ड्राफ्ट की स्कैन कॉपी ई-टेण्डर पोर्टल के फाइनेंसियल बिड सेक्शन में अपलोड की जायेगी। दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक/कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, वाराणसी से प्राप्त की जा सकती है।

  
(करुणेंद्र सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी,  
वाराणसी।

  
(सुरेंद्र सिंह)

जिलाधिकारी,  
वाराणसी।

संख्या: 628-39 / जि0आ0अ0 / ई-टेण्डर / व्यवस्थापन / 2019-20 / तददिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- अपर जिलाधिकारी प्रशासन / नगर, वाराणसी।
- 3- संयुक्त आबकारी आयुक्त, वाराणसी जोन, वाराणसी।
- 4- उप आबकारी आयुक्त, वाराणसी प्रभार, वाराणसी।
- 5- जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, वाराणसी को आशय से प्रेषित कि उपरोक्त विज्ञप्ति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 6- समस्त उप जिलाधिकारी, वाराणसी।
- 7- नाजिर, सदर, कलेक्ट्रेट को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना को सूचना पट्ट पर चस्पा कराये तथा Technical & Financial bid opening date 25.05.2019 at 10:00 बजे से राईफल क्लब में अपेक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करें।
- 8- आबकारी निरीक्षक, सेक्टर-3, सेक्टर-4, सेक्टर-5 व क्षेत्र-2 वाराणसी को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त देशी शराब दुकानों का व्यवस्थापन शत प्रतिशत कराये।
- 9- सम्पादक दैनिक समाचार पत्र-दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, व अमर उजाला को इस आशय से प्रेषित कि अपने समाचार पत्रों में कम से कम स्थान में विज्ञापन प्रकाशित कर बिल जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, वाराणसी से सत्यापित कराकर कार्यालय में प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

  
(करुणेंद्र सिंह)

जिला आबकारी अधिकारी,  
वाराणसी।